

निस पोस्ट के अन्तर्गत डाक  
के नगद भुगतान (बिना डाक  
के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक  
22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.  
दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
तक. 114-009/2003/20-01-03."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

JUL 2009.

SIC

7. 22/7/2009

136 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 जून 2009—ज्येष्ठ 25, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग  
( सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ )

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जून 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-10/2008/1-सूअप्र.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005), की धारा 28 की उपधारा (1)  
रत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम, 2009" है ;

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं :— इन नियमों, में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) ;

(ख) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धाराएं ;

(ग) अन्य समस्त शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में समनुदेशित किये गए हैं.

3. अनुरोध केवल एक विषयवस्तु से संबंधित हो :— सूचना के लिये अधिनियम की धारा (6) के अन्तर्गत अनुरोध लिखित विषयवस्तु से संबंधित रहेगा एवं वह सामान्यतः एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषयवस्तु की सूचना चाहता है, तो वह इनके लिये अलग-अलग आवेदन करेगा।

परन्तु अनुरोध एक से अधिक विषयवस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जन सूचना अधिकारी केवल प्रथम विषयवस्तु संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषयवस्तु के लिए आवेदक को अलग-अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार  
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव

रायपुर, दिनांक 15 जून 2009

क्रमांक एफ 2-10/2008/1-सूअप्र.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विषयवस्तु की अधिनियम क्रमांक एफ 2-10/2008/1-सूअप्र, दिनांक 15 जून, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार  
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव

Raipur, the 15th June 2009

#### NOTIFICATION

No. F 2-10/2008/1-RTI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the State Government hereby makes the following rules, namely :—

#### RULES

1. **Short title and commencement :—**
  - (1) These Rules may be called "The Chhattisgarh Right to Information (Submission of application) Rules, 2009";
  - (2) It shall come into force from the date of its publication in the "Official Gazette".
2. **Definitions :—** In these rules, unless the context otherwise requires :—
  - (a) "Act" means the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005);
  - (b) "Section" means the sections of the Act;
  - (c) All other words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.
3. **Request relate only to single subject matter.—** A request in writing for information under section 6 of the Act shall relate to one subject matter and it shall not ordinarily exceed one hundred and fifty words. If an applicant wishes to seek information on more than one subject matter, he shall make separate applications.

Provided that in case, the request made relates to more than one subject matter, the Public Information Officer may respond to the request relating to the first subject matter only and may advise the applicant to make separate application for each of the other subject matters.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
K. K. MISHRA, Joint Secretary.